

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 43/2021 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2021/46

मेघा पिता श्री पोखर भील निवासी: वाजमिया, तहसील-वल्लभनगर, उदयपुर

— अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरुद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 184/2020

दिनांक 24.11.2020

उपस्थित : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार



निर्णय

दिनांक:- 11/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 184/2020 आदेश दिनांक 24.11.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पटवार हल्का गोटीपा की रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया जिसमें यह दर्शित किया गया कि मौजा वाजमिया की खसरा संख्या 319 व 320/2 रकबा 0.02 बिस्वा भूमि पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण कर लिया है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण संस्थित कर अपीलान्त को सूचना पत्र जारी किये गये इस सम्बन्ध में अपीलान्त को सूचना-पत्र दिनांक 12.11.2020 को जारी किया गया जिस पर अपीलान्त जो कि एक कम पढ़ा लिखा कृषक है अधीनस्थ तहसीलदार जी के न्यायालय में दिनांक 24.11.2020 को उपस्थित हुआ जहां पर अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष उक्त प्रकरण में जवाब हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु समय मांगा गया परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा बिना अपीलान्त को जवाब हेतु समय प्रदान किये बिना सूने दिनांक 24.11.2020 को ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया न्याय एवं विधि के विधि प्रदत्त सिद्धान्तों के विपरित होने से


जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अपीलान्ट जो कि एक साधारण कृषक है तथा उसे उक्त तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी, अपीलान्ट दिनांक 24.11.2020 को नोटिस मिलने पर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ जिस पर अपीलान्ट के प्रोसेडिंग पर हस्ताक्षर करवाये गये व अपीलान्ट अपने घर आ गया अपीलान्ट को न तो सूना गया न अपीलान्ट का कोई जवाब उक्त प्रकरण में लिया गया सीधे ही तहसीलदार ने बेदखली का आदेश जारी कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक छपे छपाये परफोरमे पर साईकलो स्टाईल निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल कर दिया। विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई व जवाब हेतु युक्ति युक्त समय प्रदान कराया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। यदि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो यह स्पष्ट था कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया उक्त आराजीयात जिन पर अतिक्रमण बताया जा रहा है उक्त सभी आराजीयात पर गांव की पुरानी आबादी बसी हुई है जिस पर अपीलान्ट व अन्य सभी लोगों के मकान पक्के व केलुपोश बने हुए हैं जिनमें अपीलान्ट व अन्य आबादी के व्यक्ति परिवार सहित निवास करते हैं। उक्त मकानों पर अपीलान्ट व इन लोगों के विद्युत कनेक्शन हैं तथा इस सम्बन्ध में आबादी विस्तार हेतु उक्त मकानात के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा भी दिनांक 27.10.2020 को साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यदि विद्यवान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब हेतु समय प्रदान कराया जाता तो उक्त सभी तथ्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाते परन्तु अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को जवाब हेतु समय नहीं दिये जाने के कारण उक्त तथ्य अपीलान्ट प्रस्तुत ही नहीं कर सका। यदि उपरोक्त सभी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देखे जाते तो इस प्रकार का साईकलो स्टाईल जजमेण्ट कदापि पारित नहीं किया जा सकता है। जिससे उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रकरण संस्थित की गई है वह अस्पष्ट एवं अधुरा होने से निरस्त योग्य है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की जांच करवाई जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि उक्त आराजीयात पर गांव की पुरानी आबादी लगभग 50 वर्ष से भी पूर्व बसी हुई है तथा उक्त आराजीयात पर उक्त लोग विगत 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपने बाप-दादाओं के समय से निवास करते चले आ रहे हैं। अपीलान्ट एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति है जो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों के कहेनुसार प्रोसेडिंग पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी कभी नहीं थी व इसके कुछ माह पश्चात् लॉकडाउन हो जाने से भी अपीलान्ट जो कि ग्रामीण कृषक है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं कर सके, परन्तु



जिला कलक्टर
उदयपुर

हाल ही में अधीनस्थ तहसीलदार के कर्मचारी मौके पर आये व अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया व उक्त निर्णय बाबत कथन किया जिस पर अपीलान्ट घबरा गया व तुरन्त अन्य व्यक्तियों के साथ आकर तहसील में चाराजोही की व निर्णय की नकल हेतु दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 05.07.2021 को ही नकल प्राप्त की। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2020 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा धारा 91(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संस्थित कर अपीलार्थी को दिनांक 12.11.2020 को सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी दिनांक 24.11.2020 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समय चाहा गया, किन्तु बिना अवसर प्रदान किये उसी दिन बेदखली आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अपीलार्थी एक साधारण कृषक है तथा उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। संबंधित भूमि पर लगभग 50 वर्षों से पुरानी आबादी बसी हुई है, जहां अपीलार्थी एवं अन्य ग्रामीण निवासरत हैं तथा विद्युत कनेक्शन आदि भी स्थापित हैं। ग्राम पंचायत गोटीपा द्वारा भी दिनांक 27.10.2020 को साधारण सभा में आबादी विस्तार संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। यदि सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता तो ये तथ्य प्रस्तुत किये जा सकते थे। अतः तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व ग्राम वाजमिया की आराजी नम्बर 319 व 320/2 रकबा 0-10 बीघा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 91 का नोटिस दिया जाकर सुनवाई की जाकर बेदखली का आदेश दिया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया बेदखली का आदेश उचित हैं। अतः अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारीज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार राजस्व ग्राम वाजमिया की आराजी संख्या 319 व 320/2 रकबा 0-10 बीघा किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम



जिला कलक्टर
उदयपुर

के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिवत नोटिस जारी किये गये, जिनकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.11.2020 को न्यायालय में उपस्थित दी गई। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु समय चाहा गया हो ऐसा कोई अंकन पत्रावली पर नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह सिद्ध करे कि अपीलार्थी द्वारा नियमन हेतु कोई चाराजोही की हो अथवा उक्त भूमि पर उसका कब्जा/स्वामित्व रहा हो। अपीलार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा मौजा वाजमिया की आराजी संख्या 319 व 320/2 रकबा 0-10 बीघा किस्म चारागाह (राजकीय भूमि) भूमि पर पर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 184/2020 तहसीलदार वल्लभनगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर